भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक /पीबीआर/2013

R 730- PBR/13

त्रिशक्ति गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
द्वारा अध्यक्ष - विजय कुमार साहू
आयु लगभग 52 वर्ष
आत्मज श्री एल.एन.साहू
निवासी - 3, आंचल अपार्टमेंट
प्रोफेसर कालोनी, भोपाल .....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

1. नंदकिशोर आत्मज स्व.हरलाल
2. हरीचरण आत्मज श्री मूंगालाल
3. गेंदालाल आत्मज स्व.श्री खचेरा
4. दौलतसिंह आत्मज स्व.श्री खचेरा
5. भैरोसिंह आत्मज स्व.श्री खचेरा
6. लालजी आत्मज स्व.श्री खचेरा
7. देवीलाल आत्मज स्व.श्री खचेरा
8. श्रीमती रम्बोबाई पत्नी स्व.श्री खचेरा

सभी निवासीगण - ग्राम बंजारी,
ग्राम पंचायत अकबरपुर
तहसील हुजूर जिला भोपाल
9. श्रीमती सुशीला साहू
पुत्री स्व.श्री रामचरण साहू
हाल निवासी-आंचल अपार्टमेंट
प्रोफेसर कालोनी भोपाल .....अनावेदकगण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 17.12.2012 अंतर्गत प्रकरण क्रमांक 125/निगरानी/10-11 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय भोपाल जिला भोपाल पक्षकारगण त्रिशक्ति गृहनिर्माण सहकारी संस्था विरूद्ध नंदकिशोर व अन्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 730-पीबीआर/2013 **जिला भोपाल**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया । 2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 125/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दि. 17-12-2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क मुख्य रूप से यह कहा गया कि कोई भी प्रकरण पक्षकार या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 की ओर से निगरानी श्री अभय राजन सक्सैना ने स्वयं को मुख्तार आम दर्शाकर प्रस्तुत की थी किन्तु जब उनके पक्ष में निष्पादित कथित विलेख को चुनौती देते हुये उसे कूटरचित दस्तावेज दर्शाने का प्रयास किया गया तब उनके द्वारा ऐसे दस्तावेज पर टेम्परिंग करते हुये दस्तावेज को जारी करने की तिथि में परिवर्तन किया गया एवं ऐसे परिवर्तन के साथ प्रथम पुनरीक्षण न्यायालय ने ऐसे दस्तावेज को उचित दस्तावेज एवं आवेदक के हितों के विपरीत न होना दर्शाते हुये संरक्षण प्रदान किया इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाने का निवेदन किया कि प्रथम निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय युक्तियुक्त सुनवाई कर विधिक प्रावधानों के तहत उचित आदेश पारित करें । 4- अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये। 5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह दूसरी निगरानी अनावेदक क्रमांक 1 की पॉवर ऑफ अटॉर्नी की संदिग्धता के संबंध में है । पॉवर ऑफ अटॉर्नी पंजीकृत है, ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियों द्वारा उसकी जॉच का कोई औचित्य नहीं है । आवेदक की पहली निगरानी भी अमान्य हुई है । सन्देह की स्थिति में यह निगरानी प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ समाप्त किया जाता है कि वह प्रकरण में मूल पक्षकार जिन्होंने पॉवर ऑफ अटॉर्नी दी है, को बुलाकर उनसे पॉवर ऑफ अटॉर्नी की पुष्टि करा लेवें ताकि इसकी पुष्टि हो सके कि क्या उन्होंने मुख्त्यारआम अभय राजन सक्सैना को उनका पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया है अथवा नहीं । **अध्यक्ष**	